

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1091/2010/अजमेर.

मैसर्स श्री बलजीत सिंह पुत्र हरनाम सिंह,  
अजमेर.

.....अपीलार्थी.

बनाम  
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
उड़नदस्ता, अजमेर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ.पी.माहेश्वरी, अभिभाषक  
श्री अनिल पोखरणा,  
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 22.03.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 06.05.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, अजमेर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 17.02.2009 के जरिये कायम की गयी शास्ति रूपये 2,57,943/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को अधिनियम की धारा 83 के तहत विवादित किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 17.02.2009 को वाहन संख्या एच.आर.-46/बी-7204 की चैकिंग की गई। जांच के दौरान वाहन चालक ने जांच अधिकारी के समक्ष जी.आर.नं., इनवाइस नं., पॉलिसी नं. एवं घोषणा प्रपत्र वैट-47 प्रस्तुत किया। वाहन चालक के बयान अनुसार माल को कालाअम्ब से अजमेर आना बताया। वाहन चालक के पास अजमेर में माल को खाली कराने के संबंध में कोई दस्तावेज न होने के कारण वाहन को निरुद्ध किया गया। सशक्त अधिकारी ने अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। वक्त निरीक्षण माल से संबंधित समस्त दस्तावेज (वांछित धारा 76(2) के अनुसार) सशक्त अधिकारी के समक्ष पेश कर दिये गये। वाहन चालक वाहन में लदे माल के जयपुर से अजमेर के दस्तावेज जयपुर से आते समय लाना भूल गया। कन्साइमेंट में अजमेर के लिये परिवहनित उक्त माल के बिल, बिल्टी व चालान वाहन चालक व माल प्रभारी ने प्रस्तुत

लगातार.....2

नहीं किये सशक्त अधिकारी द्वारा पुनः नोटिस जारी किया गया। सुनवाई का उचित अवसर देते हुए, उक्त कमियों/अनियमितताओं के लिये अपीलार्थी पर धारा 76(9) के तहत माल कीमतन 8,59,809/- रुपये पर 30 प्रतिशत शास्ति आरोपित की गई। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एक अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अविधिक बताते हुए कथन किया कि वाहन चालक ने स्पष्ट किया है कि माल अजमेर में अनलोड किया जाना है, अतः करापवंचन की मंशा से माल परिवहनित किये जाने के आधार पर प्रत्यर्थी को नोटिस दिया गया, नोटिस की पालना में व्यवसायी द्वारा अजमेर से जयपुर के दस्तावेज कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश कर दिये गये तथा ट्रांसपोर्टर की गलती के कारण वाहन चालक को देने से रह गये थे जो बाद में पेश किये गये। ऐसे प्रकरणों में डी.पी. मेटल्स के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो उसका उल्लेख माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दृष्टान्त एसीटीओ, एफएस भरतपुर बनाम हरसहाय द्वाराका प्रसाद अग्रवाल वो. 43 पार्ट 7 टैक्स अपडेट पृष्ठ 230 में निम्न प्रकार उल्लेखित किया है :-

"In my view, the order of the Tax Board deserves to be upheld for the reason that the declaration form, which was obtained by the assessee, was available with them, and which was produced immediately on demand, and even on the same day of intercepting the vehicle. Admittedly, it is not a cast that the declaration form was obtained subsequent to the dispatch of the goods or after being intercepted by the authorized officer of the Revenue, and admittedly the vehicle was checked on June 23, 1999 on an information going by the vehicle incharge to the assessee, he appeared before the authorized officer himself on the same day, i.e. June 23, 1999 and produced declaration form ST-18C, therefore, once it is a finding of fact given by the assessing officer that the declaration form was produced on the same day on June 23, 1999 when the vehicle was intercepted, in my view, in the light of the judgment rendered by the honourable apex court in the case of D.P. Metals [2001] 124 STC 611 (SC) [2002] 1 SCC 279 and in the light of the rule 54 of the RST Rules, which postulate that principle of natural justice demand that an opportunity should be given and therefore, it is a clear cut case where the declaration form, though mandatory, required to be carried with the vehicle but the driver/vehicle incharge forgot to carry the same, which was immediately produced on demand that too on same day."

अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय अपील संख्या 1853/2006 स.वा.क.अ. बनाम मैसर्स किशनलाल द्वारा मैसर्स ज्ञानोदय स्टील, अजमेर के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मात्र कतिपय सूचना न होने के आधार पर शास्ति का आरोपण अनुचित है। उपर्युक्त आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, प्रस्तुत रेकार्ड तथा न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 76(9) में ट्रांसपोर्टर के वाहन चालक पर शास्ति का आरोपण किया गया है जो कि एक प्रकार से एक ही कारण के लिये, एक ही व्यक्ति पर दो बार शास्ति का आरोपण है। अधिकृत प्रतिनिधि ने अपने कथन के समर्थन में स.वा.क.अ., उडनदस्ता, अलवर बनाम अमरसिंह पुत्र बदन सिंह के प्रकरण राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 1250/2006 जयपुर आदेश दिनांक 05.02.2015 के निर्णय का हवाला दिया है। वाहन चालक ने जो भी दस्तावेज उसके पास उपलब्ध थे, उन्हें जांच अधिकारी को उपलब्ध करा दिये थे एवं उसके द्वारा जांच में पूर्व सहयोग प्रदान किया गया। वाहन चालक का किसी भी प्रकार का दोषी मनोभाव हस्तगत प्रकरण में साबित नहीं होता है। अधिनियम की धारा 76(9) में स्पष्ट रूप से प्राविधित किया गया है कि धारा 76(2) में उल्लेखित शर्तों की पालना वाहन चालक/प्रभारी द्वारा नहीं किये जाने पर वाहन में परिवहनित माल के मूल्य के 30 प्रतिशत के बराबर शास्ति का आरोपण सशक्त अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। हस्तगत प्रकरण में वाहन चालक ने वक्त जांच धारा 76(2) में उल्लेखित शर्तों की पालना कर दी गई है अर्थात् उसके पास जो दस्तावेज इनवाइस सं. 1279 दिनांक 15.12.2009 प्रेषक रुचिरा पेपर लि. कालाअम्ब हिमाचल प्रदेश तथा प्रेषिति भी ब्रेकेंटेश पेपर एजेन्सी, डी-जनपथ नगर, श्यामनगर, जयपुर जी.आर.नं. 2143 दिनांक 15.12.2009 मैसर्स मोहित रोड कालाअम्ब थे उन्हें कर निर्धारण अधिकारी को जांच हेतु सौंप दिये थे वाहन चालक को जयपुर से अजमेर के दस्तावेज आयातकर्ता फर्म ने जानबूझकर नहीं दिये थे, उसके लिये पृथक से माल पर धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया जा चुका है। अतः वाहन चालक पर बिना उसकी सहभागिता साबित किये आरोपित शास्ति अविधिक है। कर निर्धारण अधिकारी ने वाहन चालक के Collusion के संबंध में कोई स्वतंत्र जांच नहीं की तथा वक्त जांच प्रस्तुत दस्तावेजों को मिथ्या, बोगस या

कूटरचित प्रमाणित नहीं किया गया है, जबकि धारा 76(9) में जांच पड़ताल किये बिना आरोपित शास्ति अविधिक है। इसी तरह राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय ACTO, FS, **Bharatpur vs. Shiv Shankar, Dholpur [2008] 21 Tax Up-Date 226 (RTB) Rajasthan Sales Tax Act, 1994, sections 78(2)(B), 78(10)(A)**—While disallowing the appeal. the Rajasthan Tax Board held that :- "According to judgment of Rajasthan High Court in the matter of Rajasthan State Vs. Tajinder pal (Tax Update volume 6, page 84) it was required from the Assessing Authority that while stopping at the checkpoint. he should have proved the mens rea against the vehicle driver/incharge of the goods/dealer but no such evidence has been collected में पारित निर्णय के आलोक में शास्ति आरोपण उचित नहीं कहा जा सकता। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं सार्थक निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश में आरोपित शास्ति को विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

8. उपरोक्तानुसार अवर अधिकारियों के आदेश निरस्त करते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

( मदन लाल मालवीय )  
सदस्य